न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

(1) अपील संख्याः—235 / 2019 / 225 (2019 / 00235)

1. श्रवण पुत्र भागीरथ, जाति जाट, निवासी बम्बोरिया की ढ़ाणी, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

अपीलांट

बनाम

1. कानी पत्नि नन्दलाल, जाति जाट, निवासी गुढ़ासहायपुरा, तह0मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
2. सन्तोष पत्नि रामकुंवार, जाति जाट, निवासी सामों की ढ़ाणी, महलां, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

रेस्पोडेंटस

3. मनभर पत्नि हीरालाल, जाति जाट, निवासी गुढ़ासहायपुरा, तह0मौजमाबाद जिला जयपुर ।
4. झमकू पत्नि रामलाल, जाति जाट, निवासी गुढ़ासहायपुरा, तह0मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
5. तहसीलदार, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंट

<u>अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक, दूदू, दिनांक 20.5.2019 अंतर्गत प्रकरण संख्या 61 / 2016.</u>

<u>उपस्थितः—</u>

1. श्री विरेन्द्रसिंह खंगारोत, वकील अपीलांट ।
2. श्री सुरेन्द्र शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2.
3. रेस्पो0 संख्या 3 व 4 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 5.

(2) अपील संख्याः—198 / 2019 / 225 (2019 / 000198)

1. कानी पुत्री श्रवण पत्नि नन्दलाल, जाति जाट, निवासी गुढ़ासहायपुरा, तह. मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
2. संतोष पुत्री श्रवण पत्नि रामकुंवार, जाति जाट, निवासी सामों की ढाणी महलां, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुरा ।

अपीलांट

बनाम

1. मनभर पुत्री श्रवण पत्नि हीरालाल, जाति जाट, निवासी गुढ़ासहायपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
2. जनकू पुत्री श्रवण पत्नि रामलाल, जाति जाट, निवासी गुढ़ासहायपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
3. श्रवण पुत्र भागीरथ, जाति जाट, नि0 भम्भौरियों की ढाणी, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
4. तहसीलदार, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

5. सब रजिस्ट्रार, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।

रेस्पोडेंटस

6. रामसिंह चौधरी पुत्र रामलाल,
7. शिवशंकर डाबला पुत्र हीरालाल,
जाति जाट, निवासी गुढ़ासहायपुरा, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
8. श्रीमती राजकंवर पत्नि हनुमानसिंह चौधरी, जाति जाट, नि0 गाडोता, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

रेस्पोडेंटस/दौराने वाद केता

<u>अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक, दूदू, दिनांक 20.5.2019 अंतर्गत प्रकरण संख्या 61/2016.</u>

<u>उपस्थितः–</u>

1. श्री सुरेन्द्र शर्मा, वकील अपीलांटस ।
2. श्री विरेन्द्रसिंह खंगारोत, वकील रेस्पो0 संख्या 3.
3. श्री प्रहलाद कड़वा, वकील रेस्पो0 संख्या 8.
4. रेस्पो0 संख्या 1, 2, 6, 7 अनुपस्थित ।
5. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवकता, रेस्पो0 संख्या 4 व 5.

<u>निर्णय</u>

दिनांकः– 16.9.2020

1. दोनों अपीलें विद्वान सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक, दूदू के आदेश दिनांक 20.5.2019 के विरूद्ध पृथक–पृथक इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. दोनों अपीलें एक ही आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत किये जाने से तथा दोनों प्रकरणों में पक्षकार एवं विवादित भूमियां समान होने से दोनों प्रकरणों का निस्तारण एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है । निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक संधारित की जावे ।
3. प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 पेश कर निवेदन किया कि परिशिष्ट 'अ' में ग्राम सीतापुरा की आराजी खसरा नंबर 602, खसरा नंबर 616, खसरा नंबर 617/684 कुल किता 3 कुल रकबा 1.04 है0 व आराजी खसरा नंबर 664 रकबा 0.21 है0 वाके ग्राम सीतारामपुरा एवं परिशिट 'ब' में वर्णित आराजी खसरा नंबर 1373/1020, खसरा नंबर 1430/83, खसरा नंबर 1431/1020 कुल किता 3 कुल रकबा 0.2475 है0, एवं खाता संख्या 250 के आराजी खसरा नंबर 21/1243, खसरा नंबर 24/1246, खसरा नंबर 111, खसरा नंबर 139, खसरा नंबर 185, खसरा नंबर 1047/1264, खसरा नंबर 1080/1280, खसरा नंबर 1081/1283, खसरा नंबर 1086/1297 कुल किता 9 कुल रकबा 3.1500 है0 वाके ग्राम कड़वों का बास तथा परिशिष्ट 'स' में अंकित आराजी खसरा नंबर 137/839, खसरा नंबर 138/842, खसरा नंबर 140/845, खसरा नंबर 152, खसरा नंबर 183/847 कुल किता 5 कुल रकबा 1.48 है0 भूमि वाके ग्राम मौखमपुरा में अवस्थित है । प्रश्नगत आराजियात पुश्तैनी आराजियात है, वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र में सजरा

अंकित करते हुए दर्शित किया कि श्रवण के कोई पुत्र नहीं है, उसके चार पुत्रियां है, जनकू, कानी, मनभर व संतोष । चूंकि प्रश्नगत आराजियात पैतृक आराजियात है अतएवं श्रवण की पुत्रियों का हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के तहत जन्म से विवादित आराजियात में अधिकार है । श्रवण को जो आराजियात आयी है वह पूर्वजों से आयी है । जिसकी पुष्टि संवत् 2011 के अभिलेखों से होती है। चूंकि श्रवण के नाम परिशिष्ट 'अ', 'ब' एवं 'स' में आराजियात दर्ज है । उक्त आराजियात में जनकू, कानी, मनभर व संतोष व श्रवण प्रत्येक का 1/5 हिस्सा होना चाहिये था तथा इसी अनुसार राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाना चाहिये था । श्रवण की चारों पुत्रियां अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त है तथा ऊपज का उपयोग उपभोग करती आ रही है। सद्भावनावश प्रार्थीगण ने अपने नाम आराजियात दर्ज नहीं करवाई परन्तु उपयोग व उपभोग हिस्सेनुसार करते आ रहे है । इससे पूर्व श्रवण ने प्रार्थीगण के हिस्से पर कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं किया है । चूंकि पक्षकार एक ही परिवार से है अतएव कभी किसी पर अविश्वास नहीं हुआ। यद्वपि समय–समय पर श्रवण की चारों पुत्रियां अपना हिस्सा अपने नाम दर्ज करवाने के लिये कहती आई है तथा जब प्रार्थीगण ने जमीन अपने नाम लगाने बाबत् श्रवण को कहा तो श्रवण ने जमीन नाम लगवाने की स्वीकृति दी किन्तु बाद में श्रवण ने ऐलानिया धमकी देना प्रारंभ कर दिया कि वह विवादित आराजियात को विक्रय कर देगा । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी को वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि विवादित आराजियात को रहन, बेय, मुन्तकिल नही करे, कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 20.5.2019 द्वारा प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 2 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

4. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

5. विद्वान वकील अपीलांट (अपील संख्या 235/2019) एवं अपील संख्या 198/2019 के रेस्पो0 विरेन्द्रसिंह खंगारोत ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश न्याय, नियम एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना का निस्तारण करते हुए 2/5 हिस्सा रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का अंकित किया है जो केवल वाद में ही निर्णित किया जा सकता है । अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निर्णय में इस प्रकार का हिस्सा निर्धारण नहीं किया जा सकता था । इसलिये अधी0न्याया0 का आदेश अनावश्यक टिप्पणी के कारण दूषित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा जानबूझकर सजरे में सोनी, तीजा और भूली को नहीं दर्शाया है । इस प्रकार रेस्पो0 संख्या 1 व 2 स्वंय न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आई है । इसलिये प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 स्थगन आदेश प्राप्त करने की अधिकारी नही थी । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि श्रवण के दत्तक पुत्र विवेक चौधरी को वाद एवं प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया इसलिये प्रकरण आवश्यक पक्षकार के अभाव में खारिज किये जाने योग्य था। यह भी कथन किया कि प्रार्थीगण/रेस्पो0 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष परिशिष्ट 'अ' में उल्लेखित आराजियात के शेष सहखातेदारान को वाद एवं प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया है जबकि उक्त परिशिष्ट की आराजी में श्रवण का 1/3 हिस्सा है तथा शेष 2/3 हिस्सा अन्य

सहखातेदारान का है । प्रार्थीगण द्वारा वाद में विभाजन का अनुतोष भी चाहा है इस कारण प्रार्थीगण/रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत वाद एवं प्रार्थना पत्र आवश्यक पक्षकारों के अभाव में भी संधारण योग्य नहीं था । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने दस्तावेजी साक्ष्यों से यह साबित किया था कि आराजियात का बेचान रेस्पो0 के विवाह में हुए खर्चे के कर्ज को चुकाने के लिए किया गया था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने बेचान पर रोक लगाकर विधिक त्रुटि कारित की है । बहस में आगे कथन किया कि विवादित आराजियात श्रवण को विरासत से प्राप्त नहीं होकर वसीयत के आधार पर प्राप्त हुई है । इसलिए वसीयत से प्राप्त आराजियात में रेस्पो0/प्रार्थीगण का कोई अधिकार नहीं बनता है । यह भी कथन किया कि अपील संख्या 198/2019 बउनवान कानी बनाम श्रवण में कानी द्वारा रेस्पो0 संख्या 6 से 8 को पक्षकार बनाया है जबकि रेस्पो0 संख्या 6 से 8 को दावे में पक्षकार नहीं बनाया गया है एवं न ही इन्हें पक्षकार कायम करने हेतु आज दिनांक तक कोई प्रार्थना पत्र ही पेश किया गया है एवं न ही न्यायालय के समक्ष इन्हें पक्षकार कायम करने हेतु कोई अनुमति बाबत् कोई प्रार्थना पत्र ही पेश किया गया है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअदांज कर अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलांट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने में त्रुटि कारित की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे तथा रेस्पो0 कानी वगै0 द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 198/2019 निरस्त की जावे । विद्वान वकील अपीलांट विरेन्द्रसिंह खंगारोत ने अपने कथनों के समर्थन में आर0बी0जे0 2005 पेज 345, आर0बी0जे0 2017 पेज 171, आर0बी0जे0 2018 पेज 499, आर0बी0जे0 2007 पेज 296, आर0बी0जे0 2018 पेज 503, आर0बी0जे0 2003 पेज 490, आर0बी0जे0 2018 पेज 744 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

6. अपील संख्या 198/2019 के अपीलांटस एवं अपील संख्या 235/2019 के रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के विद्वान वकील श्री सुरेन्द्र शर्मा ने बहस मे निवेदन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांटस/प्रार्थीगण द्वारा संपूर्ण आराजियात बाबत् स्थगन आदेश का अनुतोष चाहा गया था किन्तु अधी0न्याया0 द्वारा केवल मात्र 2/5 हिस्से की आराजियात बाबत् स्थगन आदेश पारित किया गया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है क्योंकि प्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष बंटवारे का वाद भी पेश किया गया है तथा विवादित आराजियात अविभाजित है । अधी0न्याया0 को 2/5 हिस्से के बजाय संपूर्ण आराजियात बाबत् स्थगन आदेश जारी करना चाहिये था । विवादित आराजियात पैतृक आराजियात है जिसमें प्रार्थीगण/अपीलांटस का जन्म से हक व हिस्सा निहित है । बिना विधिक बंटवारे के श्रवण को आराजियात विक्रय करने का अधिकार नहीं है । अतः अपीलांटस कानी द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या1 98/2019 स्वीकार कर अधी0न्याया0 के आदेश दिनांक 20.5.2019 में संशोधन किया जाकर श्रवण को जो 3/5 हिस्से के बेचान बाबत् स्वतंत्र रहने के आदेश दिये है उसे विलोपित किया जावे ।

7. जवाब उल जवाब बहस में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 3 अपील संख्या 198/2019 श्री विरेन्द्रसिंह खंगारोत ने कथन किया कि अपीलांट कानी वगै0 द्वारा जो अनुतोष मूल अपील में चाहा गया है वह विधिनुसार प्रदान नही किया जा सकता है । अतः अपीलांट कानी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त की जावे ।

8. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । प्रार्थीगण कानी एवं संतोष पुत्रीयां श्रवण द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 पेश कर विवादित आराजियात पैतृक होने का कथन करते हुए विवादित आराजियात में जनकू, कानी, मनभर, संतोष व श्रवण

प्रत्येक का 1/5 हिस्सा होने का कथन कर अप्रार्थी श्रवण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने तथा उक्त आराजियात को रहन, बेय, मुन्तकिल नहीं करने तथा कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करने तथा मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का अनुतोष चाहा था । अधी0न्यायाा0 ने अपने आदेश दिनांक 20.5.2019 द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित आराजियात में अप्रार्थी संख्या 3 श्रवण के दर्ज हिस्से में प्रार्थीगण के 2/5 हिस्से को अप्रार्थीगण को रहन, बेय, मुन्तकिल नहीं करने तथा राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया तथा शेष 3/5 हिस्से बाबत् कोई विवाद नहीं होना अंकित किया है । अधी0न्यायाा0 के इस आदेश के विरूद्ध प्रार्थीगण/अपीलांट कानी व संतोष द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 2019/00198 पेश कर संपूर्ण विवादित आराजियात बाबत् स्थगन आदेश पारित करने का अनुतोष चाहा गया तथा अप्रार्थीगण/अपीलांट श्रवण द्वारा अपील संख्या 2019/00235 प्रस्तुत कर अधी0न्यायाा0 के आदेश को निरस्त करने का अनुतोष चाहा गया है ।

9. प्रार्थीगण/अपीलांट कानी व संतोष द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 2019/00198 बउनवान कानी बनाम श्रवण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्यायाा0 के समक्ष प्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा विवादित आराजियात पैतृक होने का कथन कर विवादित आराजियात में कानी, मनभर, संतोष व श्रवण प्रत्येक का 1/5 हिस्सा होना अंकित कर अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अन्य खातेदारों के साथ अप्रार्थी श्रवण के नाम दर्ज है । श्रवण के नाम दर्ज आराजियात में अपीलांटस को क्या हक व अधिकार तथा कितना हिस्सा प्राप्त होता है इन सब तथ्यों का निर्धारण तो मूल वाद में बाद साक्ष्य होगा किन्तु अधी0न्यायाा0 के समक्ष अपीलांटस/प्रार्थीगण ने प्रत्येक का 1/5 हिस्सा होने का कथन किया है जिसके अनुसार अपीलांटस/प्रार्थीगण का विवादित आरायिजात में 2/5 हिस्से बाबत् विवाद होना प्रमाणित है । इसी कारण अधी0न्यायाा0 ने विवादित आराजियात में 2/5 हिस्से को विवादित मानकर अप्रार्थी श्रवण को 2/5 हिस्से बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया है । इसके अतिरिक्त अपीलांटस ने अपनी अपील में ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि अप्रार्थी द्वारा विवादित आराजियात के विशेष भू–भाग का बेचान, हस्तातंरण किया जा रहा हो । इसके विपरीत अप्रार्थी श्रवण विवादित आराजियात का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिस बाबत् अधी0न्यायाा0 के समक्ष वाद विचाराधीन है । यदि वाद के विचाराधीन रहते श्रवण द्वारा विवादित आराजियात में प्रार्थीगण/अपीलांट कानी व संतोष द्वारा अधी0न्यायाा0 के समक्ष 2/5 हिस्से बाबत् प्रस्तुत वाद के निस्तारण से पूर्व यदि उनके हिस्से से अधिक भूमि का बेचान, हस्तातंरण कर दिया जाता है ओर अधिक वाद बाहुल्यता बढ़ेगी तथा अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण को होना प्रथमदृष्टया प्रकट होता है । इसी कारण अधी0न्यायाा0 ने प्रार्थीगण कानी वगै0 द्वारा वाद में चाहे गये अनुतोष के परिप्रेक्ष्य में 2/5 हिस्से बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील संख्या 2019/00198 बउनवानी कानी बनाम श्रवण खारिज योग्य पायी जाती है ।

10. जहां तक अपीलांट/अप्रार्थी श्रवण द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 2019/00235 बउनवान श्रवण बनाम कानी वगै0 का प्रश्न है । चूंकि प्रार्थीगण कानी द्वारा विवादित आराजियात बाबत् अधी0न्यायाा0 के समक्ष विवादित आराजियात में अपना 2/5 हिस्सा होने का कथन खातेदारी एवं बंटवारे का वाद प्रस्तुत कर रखा है जो अधी0न्यायाा0 के समक्ष विचाराधीन है । यदि उक्त वाद के विचाराधीन रहते अपीलांट/अप्रार्थी

श्रवण द्वारा विवादित आराजियात में प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष अनुसार 2/5 हिस्से की भूमि का बेचान, हस्तातंरण हो जाता है तो प्रार्थीगण कानी वगै0 द्वारा वाद प्रस्तुत करने का औचित्य ही समाप्त हो जावेगा तथा ओर अधिक वाद बाहुल्यता बढ़ेगी जिसकी रोक हेतु अधी0न्याया0 द्वारा प्रार्थीगण द्वारा वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र में दर्शाये हिस्से बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा से अपीलांट/अप्रार्थी श्रवण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया है । प्रार्थीगण कानी वगैरह को विवादित आराजियात में क्या हक व अधिकार प्राप्त होते है इन सबका निर्धारण तो मूल वाद में बाद साक्ष्य किया जावेगा किन्तु तब तक विवादित आराजियात में प्रार्थीगण द्वारा दर्शाये हिस्से बाबत् अधी0न्याया0 द्वारा पारित अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश में हमें को विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नही होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील संख्या 2019/00235 बउनवान श्रवण बनाम कानी खारिज योग्य पायी जाती है।

11. अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 2019/00198 बउनवानी कानी बनाम श्रवण तथा अपील संख्या 2019/00235 बउनवान श्रवण बनाम कानी खारिज की जाती है तथा विद्वान सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक, दूदू द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.5.2019 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक संधारित की जावे ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

12. निर्णय आज दिनांक 16.9.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर